न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(51)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2018/0532 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 340/16-17/अपील.

चन्दरसिंह पिता दौलतसिंह जाति भिलाला
निवासी ग्राम झड़दा, तहसील कुक्षी,
जिला धार, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

कुसुमबाई पिता दशरथसिंह जाति भिलाला
निवासी ग्राम झड़दा, हाल मुकाम ग्राम कवड़ियाखेड़ा
तहसील कुक्षी, जिला धार, म.प्र. .....अनावेदक

श्री शलभ शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री मंशाराम बघेल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 02.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, तहसील कुक्षी के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका के पिता एवं आवेदक व अन्य के नाम से शामलाती में कृषि भूमि ग्राम झड़दा स्थित

खाता क्रमांक 88 रकबा 16.320 हैक्टेयर तथा खाता क्रमांक 89 रकबा 4.986 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अंकित है। प्रश्नाधीन भूमि का बंटवारा उभयपक्ष के मध्य हो चुका होकर अनावेदिका के पिता को ग्राम झड़दा स्थित सर्वे नंबर 58/1 रकबा पैकी 0.519 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 68 रकबा पैकी 0.773 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 27/1 रकबा पैकी 0.271 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 150/2 रकबा पैकी 0.135 हैक्टेयर एवं सर्वे नंबर 161/2 रकबा 0.888 हैक्टेयर प्राप्त हुई। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है। अनावेदिका के पिता की मृत्यु दिनांक 04.02.2013 को हो गई है। अत: प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक से दिलवाया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार, तहसील कुक्षी द्वारा प्रकरण क्र. 03/अ-70/14-15 दर्ज कर दिनांक 21.11.2016 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदिका को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2017 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 02.01.2018 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संहिता की धारा 250 के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की परिसीमा, बेकब्जा किये जाने की तारीख से 2 वर्ष के अंदर तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति के लिए उक्त परिसीमा 5 वर्ष तक की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी कुसुमबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र में कहीं भी यह अभिवचनित नहीं किया है कि प्रश्नाधीन भूमि से उसे बेकब्जा किस दिनांक को किया गया तथा इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा न्यायालयीन कथनों के प्रति परीक्षण में बताया गया कि 'यह कहना सही है कि प्रश्नाधीन कृषि भूमि पर जाने का काम मेरा नहीं पड़ा।' स्पष्टत: अनावेदिका के आवेदन पत्र से तथा उसके कथनों से यह दर्शित हुआ है कि प्रश्नाधीन भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा रहा ही नहीं है। इस प्रकार अनावेदिका का आवेदन अवधि बाह्य प्रचलन योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त फरमाया जाना आवश्यक है।

(2) आवेदक द्वारा भी आवेदन पत्र के उत्तर में दर्शाया गया कि अनावेदिका कुसुमबाई आवेदक के भाई दशरथ की पुत्री नहीं होकर, उसका प्रश्नाधीन भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है और उक्त कारण से अनावेदिका कुसुमबाई प्रश्नाधीन भूमि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

(3) आवेदक द्वारा अपने जवाब में बताया कि आवेदक का भाई दशरथ बिना किसी संतान के स्वर्गवासी हो चुका है। दशरथ की पत्नी, दशरथ के जीवनकाल में ही उसको छोड़कर चली गई एवं उसने दूसरा विवाह कर लिया था। यहां अनावेदिका ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में कहा है कि 'मेरी माता का विवाह ग्राम मोरवाड़ा तहसील जोबट जिला अलीराजपुर में हुआ था।' यह भी कहा कि 'मैं स्नातकोत्तर पढ़ाई कर चुकी हूँ, मैंने कक्षा 1 से 5वीं तक अपने मामा के यहां कवडियाखेड़ा पढाई की है, मेरे माता के दूसरे पति का नाम सज्जनसिंह है।' आगे यह भी कहा है कि 'यह कहना सही है कि मेरी स्कूल की पहली कक्षा में भर्ती करते समय मेरे पिता का नाम सज्जनसिंह लिखा हुआ है, यह कहना सही है कि मेरे स्कूल रिकार्ड में कक्षा 1 से एम.ए. तक रिकॉर्ड में मेरे पिता का नाम सज्जनसिंह लिखा हुआ है तथा आज तक मेरे जितने भी आय, जाति प्रमाण पत्र बनवाये हैं, उसमें पिता का नाम सज्जनसिंह लिखा हुआ है।' इस प्रकार अनावेदिका के स्वयं के बयानों से प्रमाणित होता है कि अनावेदिका आवेदक के भाई दशरथ की पुत्री नहीं है। साथ ही अनावेदिका द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका का स्वत्व आधिपत्य स्थापित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका के स्वत्व प्रमाणित न होने पर भी अनावेदिका का आवेदन स्वीकार करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है।

(4) हस्तगत प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न विद्यमान होने से तथा यदि अनावेदिका प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वत्व मानती है तथा भूमि का आधिपत्य चाहती है, तो उसे स्वत्व घोषणा एवं आधिपत्य प्राप्ति के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। उपरोक्त परिस्थिति में अनावेदिका का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचलन योग्य न होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्निलखित आधार उठाये गये हैं-

(1) ग्राम पंचायत झड़दा ज.प. कुक्षी जिला धार द्वारा पंचायत की बैठकों की कार्यवाही में दिनांक 18.04.2013 को पारित ठहराव क्र. 2 में भी अनावेदिका को मृतक दशरथ की पुत्री ठहराया गया है, उक्त ठहराव भी, किसी आपत्ति, अपील कार्यवाही के अभाव में अंतिम प्रकृति का हो गया होने से अनावेदिका मृतक दशरथ की पुत्री होना प्रमाणित है। उक्त ठहराव के संबंध में सदर अपील में कोई विरोध नहीं होने से भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत सदर निगरानी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अनावेदिका आवेदक के सगे मृत भाई दशरथ की पुत्री है तथा आवेदक अनावेदिका का चाचा है। उक्त नातेदारी के मान से आवेदक, अनावेदिका एवं रूखड़ी बाई पिता दौलतसिंह तथा आवेदक के अन्य तीन सगे भाईयों द्वारा आवेदक के भाईयों एवं रूखड़ी बाई के पिता दौलतसिंह एवं माता मनीबाई की वादोक्त कृषि भूमि सर्वे क्र. 58/1, 58/2, 68, 192 कुल रकबा 4986 हैक्टेयर के संबंध में उपरोक्त सभी लोगों द्वारा सामलाती रूप से वारिसान होने नाते तहसीलदार के समक्ष एक वारसा प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु एक राजस्व प्रकरण क्र. 15/अ-6/12-13 प्रस्तुत किया गया, जिसके आदेश दिनांक 09.07.20173 के अग्रसर में अनावेदिका को अपने मृत पिता स्व. श्री दशरथ पिता स्व. श्री दौलतसिंह के हिस्से की कृषि वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी नाते प्राप्त हुई होने से आधिपत्य भी प्राप्त हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश प्राप्त किये जाने के संबंध में आवेदक द्वारा बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जाकर पूर्ण सहयोग एवं सहमति प्रदर्शित की तथा आदेश प्राप्ति उपरांत किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष उक्त आदेश के संबंध में कोई अपील, पुनरीक्षण या अन्य कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सबब उक्त आदेश अंतिम हो गया होने से अनावेदिका के हिससे में आई कृषि भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष विवाद करने का आवेदक को कोई वैधानिक अधिकार शेष नहीं रह जाता है।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.04.2017 में यह ठहराया है कि अनावेदिका का नामांतरण दिनांक 09.07.2013 से प्रश्नाधीन भूमि पर constructive possession है, जिसे आवेदक द्वारा सदर अपील में विवादित नहीं किया गया होने से तथा किसी भी रूप में खण्डित नहीं किया गया होने से सदर अपील सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है और इसी आधार पर अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, जो कि राजस्व प्रकरण क्र. 03/अ-70/14-15 पर दर्ज हुआ है, में दिनांक 09.07.2013 को आधार मानकर प्रस्तुत सदर आवेदन को प्रस्तुत किये जाने में

किसी भी रूप में समयसीमा की बाधा उत्पन्न नहीं होती है तथा उक्त संबंध में धारा 250(1-क)(ए)(दो) एवं 165/6, मध्यप्रदेश राजस्व अधिनियम 1959 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(4) सदर भूमियों के संबंध में अनावेदिका के हित में जारी नामांतरण आदेश दिनांक 09.07.2013 जिसके द्वारा अनावेदिका का नाम भू राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है विरूद्ध आवेदक द्वारा कोई अपील या कार्यवाही नहीं की गई होने से उक्त आदेश अंतिम हो गया होने से भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत सदर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अनावेदिका को मृतक दशरथ की पुत्री नहीं होने के संबंध में अभिवचन किये हैं, किंतु उक्त अभिवचनों को प्रमाणित करने का सम्पूर्ण भार आवेदक पर होने के बावजूद आवेदक मृतक दशरथ की पुत्री नहीं है, प्रमाणित करने में असफल रहा है। सबब आवेदक की पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) आवेदक के सगे भाई हुकुमसिंह द्वारा भी अपने शपथ पत्र में अनावेदिका दशरथ की पुत्री होना अभिव्यक्त किया गया है तथा कूट परीक्षण में भी अनावेदिका को दशरथ की पुत्री होना बताया है, जिसका किसी भी रूप में खण्डन करने में भी आवेदक असफल ही हुआ है। सबब आवेदक की अपील सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू-अभिलेख में अभी भी प्रश्नाधीन भूमि उभय पक्ष के मध्य सहखातेदार के रूप में दर्ज है। अनावेदिका के आवेदन अनुसार आपसी बंटवारा मौके पर हुआ था, लेकिन खाते में बंटवारे का प्रकरण प्रचलनशील है। ऐसी स्थिति में जबकि खाते का बंटवारा नहीं हुआ है, एक सहखातेदार का उसी खाते की भूमि पर दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध संहिता की धारा 250 का प्रकरण प्रचलनशील ही नहीं था। इस वैधानिक स्थिति पर निचले तीनों न्यायालयों ने विचार ही नहीं किया है। अत: संपूर्ण कार्यवाही प्रचलनशील न होने से निरस्त की जाती है, तीनों न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। प्रभावित पक्ष बंटवारे की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद पुन: संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नियमानुसार करने के लिए आवेदन दे सकेगा।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2018, अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2017 एवं तहसीलदार, तहसील कुक्षी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 निरस्त किये जाते हैं। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर